

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:-20/2014

दायर दिनांक:- 26.03.2014

जीसीएमएस नं. 2014/00608

उनवान

भगवान सिंह पुत्र घंटोली जाति गुर्जर निवासी ईटखेडा तहसील बयाना
जिला भरतपुर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली।

प्रतिवादीगण-06

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरस्ती इन्द्राज, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 20/2014 भगवानसिंह बनाम राज0 सरकार अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन

